



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा. सं. रा.भा. 10(1)/2015- हिन्दी

दिनांक 4 अगस्त, 2016

परिपत्र

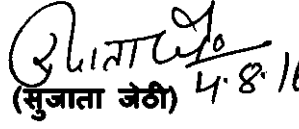
विषय : हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन करने के संबंध में दिशा-निर्देश

उपर्युक्त विषय में यह उल्लेख है कि राजभाषा विभाग द्वारा इस आयोजन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्न दिशा-निर्देश जारी किए हैं: -

1. हिन्दी पखवाड़ा आरंभ होने से पूर्व मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए।
2. हिन्दी पखवाड़े के दौरान ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, जिनका संबंध सरकारी कामकाज से हो और साथ-ही-साथ वह राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने में सहायक हों।
3. आई.टी. क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताओं में कंप्यूटर पर हिन्दी का प्रयोग संबंधी विषयों को भी जोड़ा जाए।
4. हिन्दी पखवाड़ा 01 सितम्बर से 15 सितम्बर तक (15 दिन) मनाया जाए, इन तिथियों में सुविधानुसार परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु मुख्य समारोह 14 सितंबर को ही आयोजित किया जाए।
5. राजभाषा विभाग द्वारा जारी माननीय गृह मंत्री जी का संदेश मुख्य समारोह में पढ़ा जाए।
6. इस अवधि के दौरान या आसपास प्रकाशित की जाने वाली गृह पत्रिकाओं आदि को "राजभाषा विशेषांक" के रूप में प्रकाशित किया जाए।
7. हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान देने वाले हिन्दी व हिन्दीतर लोगों के योगदान को उजागर किया जाए, इसके लिए कार्यक्रमों, चर्चाओं, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाए।
8. कार्यक्रम एक ही दिन आयोजित करने की बजाए पूरे पखवाड़े के दौरान आयोजित किए जाएं और इन कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

9. पुरस्कार राशि एवं आयोजन पर होने वाले व्यय का निर्धारण मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय द्वारा अपने विवेकानुसार आंतरिक वित्त विभाग के अनुमोदन से किया जाए।
10. इन प्रतियोगिताओं में इनके आयोजनकर्त्ता/ हिंदी अनुभाग/ प्रभाग तथा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा केंद्र के अधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य सभी संवर्ग के नियमित अधिकारी/ कर्मचारी/ नियमित एम.टी.एस. भाग ले सकते हैं।
11. जिन अधिकारी/ कर्मचारी की तैनाती हिंदी आशुलिपिक/ टंकक के रूप में हुई है, वे हिंदी आशुलिपिक/ टंकण प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते, तथापि अन्य प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


(सुजाता जेठी) 4.8.16
निदेशक (रा.भा.)

वितरण:*

1. भा.कृ.अ.प. के अधीनस्थ सभी संस्थानों / निदेशालयों/ ब्यूरो/ केन्द्रों के निदेशक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. गार्ड फाइल।